



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अति आवश्यक
बाद

सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक:SHSB/PM/526/2018/P-II/.....3285

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार।

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक...30/09/24....

विषय: बाद के महेनजर स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित प्रबंधन के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024 एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 3132 दिनांक 23.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में बाद एवं उससे जलजनित महामारी एवं दस्त/अतिसार की रोकथाम, आपात की स्थिति में समुचित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा औषधियों की निरन्तर उपलब्धता बनाये रखने हेतु स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024 एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 3132 दिनांक 23.09.2024 द्वारा निदेश निर्गत किए गये हैं।

2. बाद की विभीषिका की अवधि में जन मानस को आवश्यकतानुरूप समुचित चिकित्सकीय सुविधा समयानुसार उपलब्ध हो, इस हेतु प्रभावित क्षेत्रों में विशेष चिकित्सकीय व्यवस्था का प्रबंध करने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई किया जाये:-

A. बाद के दौरान के कार्य:

- बाद प्रभावित क्षेत्रों में (क) गर्भवती मातायें जिनका प्रसव बाद अवधि के दौरान होना संभावित है (ख) नवजात शिशु जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता हो, (ग) दिव्यांग एवं गंभीर रूप से बीमार ऐसे मरीज जिन्हें स्वास्थ्य संस्थानों में रेफरल की आवश्यकता हो (घ) ऐसे क्षेत्र जहाँ महामारी का संकेत हो, का आशा कर्माकताओं एवं ए०एन०एम० द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कर Line Listing कराया जाये।
- औषधि:-** बाद प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर आवश्यक औषधियों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 3132 दिनांक 23.09.2024 द्वारा समुचित निदेश दिये गये हैं। स्वास्थ्य केन्द्रवार आवश्यक औषधियों की उपलब्धता का अद्यतन प्रतिवेदन क्षेत्रीय अपर निदेशक कार्यालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय पर संधारित किया जाये।
- चलंत चिकित्सा दल:-** बाद से प्रभावित क्षेत्रों की स्थितियों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार चलंत चिकित्सा दल एवं स्वास्थ्य शिविर का गठन कर लिया जाय। इन चिकित्सा दलों में चिकित्सक, नर्स, ए०एन०एम० एवं अन्य पारा चिकित्सा कर्मी शामिल रहेंगे। चलंत चिकित्सा दल, आपदा प्रबंधन विभाग एवं NDRF/SDRF के समन्वय से नावों की सहायता से दूरस्थ क्षेत्रों तक भ्रमण करेंगे। बाद में चिकित्सकीय कार्य हेतु नावों के परिनियोजन हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्थानीय अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय कर Dedicated Boat की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।
- बाद के पूर्व चिन्हित किये गये गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों एवं आशक्त वर्गों का NDRF/SDRF की सहायता से आबादी निष्क्रमण (Evacuation) हेतु समुचित व्यवस्था रखी जाये।

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : <http://shs.bihar.gov.in>



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- (v) बाढ़ के दौरान सुरक्षित प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं की पूर्व से तैयार सूची के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि समीप रहने वाली गर्भवती माताओं की निगरानी कर सभी संभव प्रबंध करते हुये संस्थागत प्रसव, चिकित्सा दल के पर्यवेक्षण में कराया जाय तथा प्रसव की जटिलताओं से बचने हेतु आवश्यक चिकित्सकीय सुविधायें भी उपलब्ध करायी जाय।
- (vi) बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ अस्थायी मातृत्व केन्द्र/स्तनपान हेतु स्थल एवं आवश्यकतानुसार सहायता/सलाह केन्द्र स्थापित किये जायें।
- (vii) बीमारियों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र- 'ए', 'बी' एवं 'सी' में संकलित कर राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी, IDSP, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को ई-मेल: ssobihar@gmail.com एवं अपर निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।
- B. बाढ़ के पश्चात के कार्य:**
- (i) बाढ़ का पानी घटने और जलजमाव के पश्चात मलेरिया, डेंगू के अतिरिक्त कालाजार इत्यादि के रोकथाम हेतु आवश्यक दवाओं/कीटनाशक दवाओं तथा ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना (लाइम) के मिश्रण का छिड़काव की जाये।
3. उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित निदेशों एवं जिला पदाधिकारी के समन्वय से स्थानीय स्तर पर तैयार किये गये कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

Suhanshu
(सुहर्ष भगत) 30/03/24

ज्ञापांक...3285.....

पटना, दिनांक...30/03/24..

प्रतिलिपि :

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suhanshu
कार्यपालक निदेशक 30/03/24

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : <http://shs.bihar.gov.in>



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



सुहर्ष भगत, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

अति आवश्यक
बाढ़

पत्रांक : SHSB/PM/526/2018/Part-II/.....3122

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया,
भागलपुर

पटना, दिनांक...28/09/2024

विषय: वर्ष 2024 के बाढ़ तथा उससे उत्पन्न जलजनित रोग/महामारी की रोकथाम हेतु चिकित्सकीय प्रबंधन एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में बाढ़ एवं इससे उत्पन्न स्थिति के कारण जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलने की संभावना के मद्देनजर उसके रोकथाम हेतु पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, ताकि जल जनित बीमारियों एवं आकस्मिकता/आपात की स्थिति में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों का समुचित उपचार ससमय किया जा सके। स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024 द्वारा बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित महामारी की रोक-थाम की तैयारियों हेतु अनुदेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, बाढ़ प्रवण जिलों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 848/आ.प्र. दिनांक 20.03.2024 द्वारा सभी जिलों को बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating Procedure) भेजी गयी है।

2. उक्त के आलोक में जिलों में बाढ़ एवं इससे उत्पन्न जलजनित बीमारियों/अतिसार आदि की रोकथाम हेतु EDL में निहित आवश्यक औषधियों/Medical Devices/Consumables की सांकेतिक सूची पत्र के साथ संलग्न है। औषधियों की सांकेतिक सूची की सिविल सर्जन स्वयं के स्तर से समीक्षा कर लेंगे एवं आवश्यकतानुरूप EDL में निहित औषधियों का ही स्वास्थ्य संस्थानों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) के आलोक में उक्त औषधियों/Medical Devices/Consumables की खपत का नियमानुसार आकलन कर जिला औषधि भंडार में Buffer Stock भी संधारित किया जाय।

3. बाढ़ के मद्देनजर निम्नांकित मुख्य औषधियों/सामग्रियों का जिला औषधि भंडार एवं बाढ़ प्रभावित प्रत्येक प्रखण्ड में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय-

क्र० सं०	औषधियों/सामग्रियों का नाम	जिला औषधि भंडार हेतु Buffer Stock	बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों में उपलब्धता
1	ASVS (Snake Venom Antiserum)	1000 vials	50 vials
2	ARV (Anti Rabies Vaccine)	750 vials	30 vials
3	ORS Packet	50000	10000
4	Zinc Tablet	30000	3000
5	NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate)	50000	10000
6	Bleaching Powder	500 bags	25 bags
7	Lime	1500 bags	75 bags

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : <http://shs.bihar.gov.in>



4. इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से उत्पन्न जल जमाव से प्रभावित व्यक्तियों को आपातस्थिति में त्वरित प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किये जाने वाले फूड पैकेट (राहत पैकेट) के साथ निम्नांकित औषधियों को भी औषधि किट के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह ध्यानगत रखा जाय कि फूड पैकेट के साथ औषधि किट उन्हीं जिलों में वितरित की जाए, जहाँ बाढ़ की विभिषिका अधिक होने पर आपातस्थिति में इसकी आवश्यकता हो-

क्र० सं०	औषधियों का नाम	किट में औषधियों की मात्रा
1	ORS	05 Sachets
2	Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet	30 Tablets
3	Domperidone Tablet 10 mg	01 Strip (10 Tablets)
4	Miconazole Nitrate Cream 2% w/w	01 Tube
5	Paracetamol Tablet 500mg	01 Strip (10 Tablets)

5. उपर्युक्त कंडिका-4 की तालिका में वर्णित औषधियों के उपयोग करने की स्पष्ट विधि भी एक पर्ची पर अंकित कर उसी औषधि किट में डाल दिया जाय, ताकि उपयोगकर्ता व्यक्ति/परिवार को उक्त औषधियों का उपयोग करने में कोई कठिनाई अथवा संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाए। उक्त पर होने वाले व्यय का वहन स्वास्थ्य विभागीय दवा आपूर्ति मद/NHM की निधि से किया जाएगा।

6. उपरांकित तालिकाओं में वर्णित जिन आवश्यक औषधियों/सामग्रियों का दर अनुबंध BMSICL द्वारा नहीं किया गया है, उन औषधियों की आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन जिलास्तर पर चिकित्सकों का एक समिति गठित करते हुये कर लें और तदनुसार आवश्यकता आधारित क्रय स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-333(11) दिनांक 18.06.2024 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) में निर्धारित व्यवस्था के आलोक में BMSICL से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए विहित प्रक्रियानुसार स्थानीय स्तर पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली एवं अद्यतन विभागीय क्रय अनुदेशों का पालन करते हुये किया जाय।

7. बाढ़ से संबंधित अन्य औषधियाँ तथा Bleaching Powder एवं Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet की जिलान्तर्गत आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन के स्तर से करते हुये इसकी आपूर्ति हेतु BMSICL को पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर अध्याचना भेजना सुनिश्चित किया जाय। BMSICL द्वारा Bleaching Powder एवं NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet की आपूर्ति जिलों को किया जा रहा है।

8. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव सामग्रियों का भंडारण, वितरण एवं उनके उपयोग संबंधी आवश्यक प्रबंध तथा इसकी निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य निम्नवत् सम्पादित कराया जाय-

(क) सभी सिविल सर्जन अपने क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों/पंचायतों के आधार पर Bleaching Powder एवं चूना (Lime) की खपत का आकलन करेंगे। उक्त सामग्रियों का वितरण संबंधित प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र आदि का दल गठित कर उन्हें हस्तगत कराया जाय एवं इन सामग्रियों का प्राप्ति रसीद भी उनसे लिया जाय।

(ख) छिड़काव कार्य की निगरानी हेतु गठित समिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र के अतिरिक्त वर्तमान मुखिया/सभी वार्ड सदस्य शामिल होंगे, जिसमें ए०एन०एम०/आशा फैसिलिटेटर सदस्य



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



सचिव होंगी एवं उनके द्वारा एतद संबंधी पंजी (लॉग-बुक) में तिथिवार सूचनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित कराई जाएगी। संबंधित क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि छिड़काव हेतु पंचायतवार पंजी (लॉग बुक) का संधारण निम्नवत् कराया जाएगा-

पंजी का बाँया पृष्ठ

क्र० सं०	ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	चूना (Lime) की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	प्राप्तकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
----------	--------------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------------

पंजी का दाँया पृष्ठ

पंचायत / प्रखण्ड का नाम	छिड़काव स्थल (टोला/ मुहल्ला का नाम)	छिड़काव की तिथि	उपयोग में लाये गये ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	उपयोग में लाये गये चूना (Lime) की मात्रा	जनप्रतिनिधि का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/ विकास मित्र का नाम एवं हस्ताक्षर
-------------------------	-------------------------------------	-----------------	---	--	---	--

(ग) इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 240, दिनांक 02.09.2016 द्वारा निर्गमित परिपूर्ण (Exhaustive) दिशा-निदेश का अनुसरण किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।

9. जिलान्तर्गत विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं जिला औषधि भंडार में भंडारित/उपलब्ध औषधियों/Medical Devices/Consumables का सक्षम पदाधिकारियों का एक दल (जिसमें जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक एवं संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक को अवश्य रखा जाय) गठित करते हुए भौतिक सत्यापन करा लिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाए कि जिलान्तर्गत किसी भी संस्थान में तिथिवाद एवं अवमानक स्तर की औषधियों का भंडारण नहीं हो। औषधियों/Medical Devices/Consumables के अवसान तिथि की गहन समीक्षा कर ली जाए तथा किसी भी परिस्थिति में इन औषधियों का उपयोग/वितरण नहीं किया जाय। उक्त निदेश के उल्लंघन अथवा अननुपालन की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे एवं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

10. आवश्यक औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों के भंडारण एवं वितरण तथा खपत से संबंधित सूचनाओं को प्रतिदिन DVDMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन (Update) किया जाय।

11. अतः अनुरोध है कि उक्त निदेशों का तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को ई-मेल: ssobihar@gmail.com, aoshsbihar@gmail.com एवं drugcell@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।
अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वास भाजन

(सुहर्ष भगत) 22/09/2016

ज्ञापक : SHSB/PM/526/2018/Part-II/...31.3.22... पटना, दिनांक: 22/09/2016

प्रतिलिपि:

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जीवन्त बिहार... सपना हो सकार



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- जिला पदाधिकारी- बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, तिरहुत, पटना, सारण, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित)/श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक, औषधि-सह-नोडल पदाधिकारी DVDMS/ स्टेट इपीडेमोलॉजिस्ट, IDSP, राज्य स्वा० समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वा० समिति बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगुसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अपर निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। निदेश है कि सभी जिलों के सिविल सर्जन से समन्वय कर उपरांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए एवं राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी से नियमित रूप से संपर्क कर विहित प्रपत्रों में जिलों से वांछित सूचनायें प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जाए।

Subash
23/09/24
कार्यपालक निदेशक

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : <http://shs.bihar.gov.in>